MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Arjun Munda to move that the Bill be passed.

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Special Mentions.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair.*]

SPECIAL MENTIONS

Need for expeditious completion of Sonamura -Daudkandi Inland waterways route

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि वह सोनामुरा-दाउदकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग का कार्य तेज करने के लिए बंगलादेश सरकार से बातचीत करे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जलमार्ग में ट्रायल रन के बाद जो कमियाँ नजर आई थीं, उन्हें जल्द दूर कर इस जलमार्ग को जल्द शुरू करने की बात थी। भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय ने ट्रायल से पहले अपने यहाँ फ्लोटिंग जेट्टी लगा ली थी। अभी वर्तमान में स्थायी जेट्टी बनाने का कार्य भी तेजी पर है, मगर इस जलमार्ग के सफल संचालन के लिए बंगलादेश के हिस्से में नदी की ड्रेज़िंग होनी जरूरी है। उस वक्त भारत सरकार ने बंगलादेश से आग्रह किया था कि यदि अनुमति मिले तो वह स्वयं उस हिस्से में भी ड्रेज़िंग करा देंगे, तब बंगलादेश की ओर से कहा गया था कि वे स्वयं ड्रेज़िंग करा लेंगे, मगर अब तक बंगलादेश के हिस्से में ड्रेज़िंग का कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जबकि बिना ड्रेज़िंग के जलमार्ग का संचालन नहीं हो सकेगा।

अतः भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय से आग्रह है कि वह बंगलादेश सरकार से बातचीत कर सोनामुरा-दाउदकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग की ड्रेज़िंग का कार्य शुरू कराने का प्रयास

करे, क्योंकि इस जलमार्ग के शुरू होने से भारत और बंगलादेश में आर्थिक गतिविधियों के केन्द्रों के लिए त्रिपुरा और इसके आस-पास के राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I would like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I would also like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to reduce the GST on bricks

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया (गुजरात) **:** महोदय, देश के नागरिकों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन विषय महत्वपूर्ण होते हैं। आज प्रत्येक परिवार को मकान उपलब्ध करवाना प्रधान मंत्री जी का सपना भी है। मकान बनाने हेतु ईंट अति आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंट उद्योग लगाने वाले व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, परन्तु पिछले कुछ समय से ईंट उद्योग पर जीएसटी बढ़ाये जाने से ईंट व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ईंट पर जीएसटी बढ़ने से ईंट की लागत में वृद्धि हुई है, जो व्यावहारिक नहीं लगता है और इसके कारण लोग मकान बनाने हेतु ईंट का विकल्प खोज रहे हैं। ईंट के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारियों, छोटे कारीगरों एवं उनके परिवारों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। ईंट पर लगने वाले कर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही, ईंट भट्ठों की दूरी से भी परेशानियाँ उत्पन्न हुई हैं। एक किलोमीटर की दूरी व्यावहारिक नहीं है। इन सब कारणों से ईंट उद्योग पर खतरा मँडरा रहा है। इसलिए कम्पोजिशन स्कीम के तहत 1 परसेंट और रेगुलर स्कीम के तहत आईटीसी के साथ 5 परसेंट के पुराने स्लैब की बहाली की जाए तथा जीएसटी की श्रेणी को घटाया जाए।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि ईंट व्यापारियों के लिए सरल नियमों का एक तंत्र विकसित किया जाए, जिससे ईंट के उद्योग में कार्य कर रहे लाखों-करोड़ों मजदूरों और कारीगरों के साथ-साथ देश के सामान्य जन भी लाभान्वित हों और वे अपना मकान बनाने का सपना आसानी से पूरा कर सकें।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I would like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.